न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 28/17

1. लक्ष्मीदेवी पत्नी नरेन्द्रकुमार जाति जाट निवासी 13 केजेडी (बी) कुण्डल तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।

बनाम .... प्रार्थीया

1. परवीन बानो पत्नी शौकतअली कौहरी जाति मुसलमान निवासी रिड़मलसर सिपाहियान तहसील व जिला बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री रामकुमार तेतरवाल विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री रफीक शाह विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 की ओर से।
3. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट

आदेश दिनांक :– ....

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार है। प्रार्थी की चक 6 के.जे.डी. (ए) के मु0न0 81/29 के किला नं0 01 ता 06 सालम, 7 में 10 बिस्वा कुल तादादी 06.10 बीघा कमाण्ड भूमि प्रार्थीया के नाम खातेदारी है। जिसमें आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। जिससें प्रार्थी को भारी परेशानी होती है। अप्रार्थी सं0 1 के नाम से इसी मु0न0 81/29 के किला नं0 13 ता 17 सालम, 23 ता 25 प्रत्येक में 18–18 बिस्वा कुल तादादी 07.14 बीघा कमाण्ड भूमि दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीया को अपने रकबे में काश्तकार्य हेतु आने–जाने के लिए अप्रार्थी सं01 के किला नं0 15,16, 25 में रास्ता बना है, जो मौके पर चालू है इसी का उपयोग करती है और इसी मु0न0 81/29 के किला नं0 21 ता 25 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा रास्ता कटानशुदा दर्ज है प्रार्थी ने न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता कटान कर चालू करवाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी को रजि0ए0डी0 समन तलब किया गया जिसपर दिनांक 09.09.2019 को अप्रार्थी सं0 1 मय अधिवक्ता उपस्थित आये । अप्रार्थी सं0 1 अधिवक्ता ने दिनांक 16.12.2019 जवाब पेश किया और दिनांक 14.01.2020 को तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिशल की गई। अप्रार्थीया अधिवक्ता ने जवाब में रास्ता देने हेतु असहमति जताई एवं अधिवक्ता प्रार्थीया ने प्रार्थना

पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का अनुतोष चाहा। उभयपक्ष बहस सुनी गई।

न्यायालय ने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया और प्रार्थीया व अप्रार्थीया के जवाब और बहस कथनों व नजरी नक्शा ध्यानपूर्वक मंथन करने से स्पष्ट है कि प्रार्थीया की चक 6 के.जे.डी. (ए) के मु0न0 81/29 के किला नं0 01 ता 06 सालम, 7 में 10 बिस्वा कुल तादादी 06.10 बीघा कमाण्ड भूमि प्रार्थीया के नाम खातेदारी है। जिसमें आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। जिससें प्रार्थीया को भारी परेशानी होती है। प्रार्थीया को प्रार्थना पत्र अनुसार अपने खेत में आने–जाने के लिए केवल मात्र नजदीकी रास्ता मु0न0 81/29 के किला नं0 15,16, 25 में मौके पर चालू रास्ता उपलब्ध है का राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(2)राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 की पालना में राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमलदरामद करने के आदेश तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को दिए जाते हैं। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2020.05.18 12:13:29 IST
Reason: SelfAttested
Location: